योजना का सारांश (मई 2026)

1. भारत में माध्यमिक शिक्षा की चुनौती : वर्तमान एवं भविष्य

परिचय

भारत में माध्यमिक शिक्षा की चुनौती अब केवल नामांकन और परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कार्य-संपन्नता, मूलभूत कौशल और आजीवन सीखने की क्षमता भी शामिल है। अब ध्यान किशोरों को कक्षा 10 व 12 के बाद स्कूल, कार्य एवं जीवन के लिए तैयार करने पर केंद्रित होना चाहिए।

द्वितीयक विस्तार और परीक्षा-केंद्रित दबाव

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) में 3 से 18 वर्ष की आयु तक की स्कूली शिक्षा का खाका तैयार किया गया है जिसमें माध्यमिक शिक्षा में संक्रमण को नीति का केंद्रीय बिंदु बनाया गया है।
- माध्यमिक शिक्षा (हाई स्कूल) परीक्षा-प्रधान बनी हुई है जहाँ कोचिंग, प्रवेश परीक्षाएँ और बोर्ड परीक्षाएँ प्रतिस्पर्धा को अधिक तीव्र बना रही हैं।
- कक्षा 8 में दाखिले की संख्या 2005-06 में 11 मिलियन से बढ़कर 2020-21 में 22 मिलियन हो गई।
- जनगणना 2011 के अनुमान दर्शाते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के 25 मिलियन बच्चे माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश कर रहे हैं।
- ASER 2023 में 28 जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रति राज्य एक ग्रामीण जिले और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश में दो-दो जिलों का नमूना लिया गया था।

किशोरावस्था में नामांकन, कार्य और आकांक्षाएँ

- 14 वर्ष की आयु में नामांकन दर 95% से अधिक है, लेकिन 18 वर्ष की आयु तक यह घटकर 67.4% हो जाती है।
- 15 घंटे से अधिक काम करने का प्रभाव 11वीं कक्षा से नीचे के 33.8% पुरुषों और 24.4% महिलाओं पर पड़ता है।

- कक्षा 11–12 में कार्य सहभागिता अधिक है, जिसमें 39.2% पुरुष और 26.1% महिलाएँ कार्यरत हैं।
- ग्रामीण युवाओं का काम अभी भी कृषि से जुड़ा हुआ है, जिसमें 80% श्रमिक कृषि या पारिवारिक खेतों में लगे हुए हैं।
- व्यावसायिक अनुभव कमजोर है, केवल 6.7% युवा ही नामांकित हैं, जो अधिकतर छह महीने के पाठ्यक्रमों में हैं।
- लोगों की आकांक्षाएँ अभी भी सरकारी नौकरियों, सेना, शिक्षण, चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे सेवा-उन्मुख क्षेत्रों की ओर ही झुकी हुई हैं।

शिक्षा सुधार और डिजिटल क्षमता

- परकश (PARAKH) 2024 और ASER 2024 माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश करने से पहले छात्रों में मौजूद मूलभूत कमियों को उजागर करते हैं।
- बुनियादी कौशलों की परिभाषाएँ अधिक स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पढ़ना, अंकगणित और रोजमर्रा की गणनाएँ उपयोगी बनी रहें।
- स्कूल में सीखने की प्रक्रिया को 'करके सीखने' की प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए, खासकर कक्षा के बाहर काम करने वाले किशोरों के लिए।
- टीमवर्क और परियोजना-आधारित गतिविधियों को सहयोगात्मक अधिगम को मजबूत करना चाहिए, ताकि युवाओं को विविध कार्यस्थलों के लिए तैयार किया जा सके।
- ASER 2024 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 14–16 वर्ष की आयु के 90% बच्चों के पास घर पर स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध थी।
- तीन-चौथाई प्रतिभागियों ने डिजिटल कार्य पूरे किए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रौद्योगिकी जीवनपर्यंत अधिगम को समर्थन दे सकती है।

निष्कर्ष

माध्यमिक शिक्षा को केवल संकीर्ण अकादमिक उपलब्धियों तक सीमित न रहकर, वास्तविक जीवन के संदर्भों से जुड़ी क्षमता-आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। मजबूत बुनियादी कौशल, व्यावहारिक अनुभव और डिजिटल पहुँच, स्कूल से कार्यक्षेत्र और जीवन में होने वाले बदलावों को अधिक सुगम बनाने में सहायक हो सकते हैं।

2. विकसित भारत के कार्यबल को सशक्त बनाना

परिचय

विकसित भारत की ओर भारत का सफर, अपनी विशाल जनसंख्या को उत्पादक, अनुकूलनीय और भविष्य के लिए तैयार मानव पूंजी में बदलने पर निर्भर करता है। कौशल विकास को केवल प्रशिक्षण के आँकड़ों तक सीमित न रहकर, रोजगार-योग्यता, समावेश और जीवन-पर्यंत क्षमता-निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

कौशल अंतराल और बदलती कार्य परिस्थितियाँ

- भारत की 2047 की महत्त्वाकांक्षा के लिए एक ऐसे कुशल कार्यबल की आवश्यकता है, जो तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप हो।
- केवल 3.7% लोगों को ही औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जो कार्यबल की तैयारी में गहरी खामियों को उजागर करता है।
- भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार, शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद युवाओं की रोजगार क्षमता 51% से थोड़ी अधिक है।
- स्वचालन के कारण पीसीओ ऑपरेटर, टाइपिस्ट, क्लर्क और ट्रैवल एजेंट जैसी भूमिकाएँ कम हो गई हैं।
- उभरती नौकरियों में नियमित कार्य निष्पादन के बजाय डिजिटल समझ, समस्या-समाधान क्षमता और सतत अधिगम की आवश्यकता होती है।

गिग अर्थव्यवस्था और कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र

- गिग इकॉनमी में राइड-हेलिंग, डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, घरेलू सेवाएँ और डिजिटल फ्रीलांसिंग शामिल हैं।
- प्लेटफॉर्म-आधारित काम करने में लचीलापन और आय तो मिलती है, लेकिन यह करियर उन्नति और कौशल विकास की निरंतरता को कमजोर करता है।
- स्किल इंडिया मिशन 2015 ने कौशल विकास को राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन और कार्यबल तैयारी का अभिन्न अंग बना दिया।
- पीएमकेवीवाई (PMKVY) ने प्रशिक्षण केंद्रों, उद्योग-संबद्ध कार्यक्रमों और व्यावहारिक प्रमाणन के माध्यम से प्रशिक्षण का विस्तार किया।
- शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) कार्यक्रम व्यावहारिक अनुभव और नियोक्ताओं की भागीदारी के माध्यम से प्रशिक्षण और रोजगार के बीच एक सेतु का काम करते हैं।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा निगरानी और प्रतिक्रिया के माध्यम से योग्यताओं को परिणामों के साथ संरेखित करता है।

भविष्य के लिए तैयार और समावेशी कार्यबल

- उभरते क्षेत्रों में एआई, रोबोटिक्स, स्वचालन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और डिजिटल उत्पादन में कौशल की आवश्यकता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण सेवाओं का स्वरूप बदल रहा है, जिससे नई भूमिकाएँ सृजित हो रही हैं।
- हरित संक्रमण नवीकरणीय क्षमता, हरित हाइड्रोजन और उभरते हरित व्यवसायों में रोजगार के अवसर पैदा करता है।
- महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने के लिए सुलभ प्रशिक्षण, बाल देखभाल सहायता और लचीली कार्य व्यवस्था की आवश्यकता है।

- ग्रामीण भारत को प्रशिक्षण केंद्रों, बेहतर बुनियादी ढाँचे और अवसरों के बारे में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय कौशल समझौते वैश्विक गतिशीलता के लिए श्रमशक्ति को एक रणनीतिक संपदा में परिवर्तित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत में विकास और महत्त्वाकांक्षा दोनों ही क्षमताएँ हैं, लेकिन सतत आर्थिक नेतृत्व के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास, समावेशन और उद्योग जगत के समन्वय की आवश्यकता है। जनसांख्यिकीय लाभांश तभी स्थायी लाभ में परिवर्तित हो सकता है जब सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच समन्वित कार्रवाई हो।

3. नवाचार-संचालित भविष्य के लिए भारत को कौशल प्रदान करना

परिचय

भारत का 2047 तक का विकसित भारत का सफर जनसंख्या के विशाल आकार को नवाचार के लिए तैयार मानव पूंजी में परिवर्तित करने पर निर्भर करता है। उत्पादक गरिमा के लिए स्किलिंग को शिक्षा, उद्योग, प्रौद्योगिकी और समावेशन को जोड़ना चाहिए।

मानव पूंजी और संरचनात्मक कौशल अंतराल

- उद्योग 4.0 में कौशल विकास को केंद्रीय महत्त्व दिया गया है क्योंकि भारत का लक्ष्य 2025 तक 4.13 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी तक पहुँचना है।
- भारत में 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की हिस्सेदारी 65% से अधिक है, और औसत आयु 28 वर्ष है; हालाँकि, 2030 के बाद यह जनसांख्यिकीय लाभ कम होने लगेगा।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में यह बात सामने आई है कि 53% स्नातक और 36% स्नातकोत्तर योग्यता स्तर से नीचे के स्तर पर अल्प-रोजगार में हैं।
- पीएलएफएस 2025 (PLFS 2025) के अनुसार, 67.8% वयस्कों के पास माध्यमिक शिक्षा, औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी क्षमता का अभाव है।
- भारत की औसत आयु 28 वर्ष है, जबकि चीन-अमेरिका की औसत आयु 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप की 45 वर्ष और जापान की 49 वर्ष है।
- NEP 2020, एनसीएफआर (NCFr) पोर्टेबिलिटी व एम-सेतु (M-SETU) अकादमिक, व्यावसायिक एवं अनुभवात्मक शिक्षण मार्गों को एकीकृत करते हैं।

संस्थागत एकीकरण और भविष्य के क्षेत्र

- आरडीआई (RDI), स्पार्क (SPARC), निधि (NIDHI), इम्प्रिंट (IMPRINT) एवं पीएलआई (PLI) योजनाएँ अनुसंधान, परिसरों व औद्योगिक विस्तार को आपस में जोड़ती हैं।
- स्किल इंडिया डिजिटल हब 2.0, SIDH, ई-श्रम और एनसीएस (NCS) मिलकर एक एकीकृत श्रम-बाजार सूचना संरचना का निर्माण करते हैं।
- भारत में वैश्विक एआई प्रतिभा का लगभग 16% हिस्सा मौजूद है जबकि 2027 तक 12.5 मिलियन विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी।
- 10,372 करोड़ रुपए का इंडिया एआई मिशन जीपीयू कंप्यूटिंग (GPU Computing), नवाचार तक पहुँच और एआई कौशल विकास के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है।
- भारत में वैश्विक स्तर पर चिप डिजाइन प्रतिभा का 20% हिस्सा है, लेकिन फिर भी अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर घटकों का आयात करता है।
- सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में सानंद स्थित 2.75 अरब अमेरिकी डॉलर की ATMP इकाई तथा धोलेरा में ₹91,000 करोड़ की टाटा फैब परियोजना शामिल हैं।

समावेशन, हरित परिवर्तन और वैश्विक कौशल गतिशीलता

- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रोलाइजर, भंडारण और ईंधन-सेल कौशल के माध्यम से 600,000 रोजगार पैदा करना है।
- केंद्रीय बजट 2026-27 में 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी (AVGC) प्रयोगशालाओं का प्रस्ताव है।
- AVGC क्षेत्र 2030 तक 20 लाख नौकरियाँ पैदा कर सकता है और भारत को निर्माता-नेतृत्व वाले उत्पादन की ओर ले जा सकता है।
- वैश्विक श्रम की कमी 2030 तक 85 मिलियन तक पहुँच सकती है, जिसमें 45 मिलियन कुशल पेशेवर शामिल हैं।
- यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और यूएई के साथ हुए प्रवासन समझौते प्रतिभाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं।
- PMKVY केंद्र और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जमीनी स्तर के नवाचार को औपचारिक प्रमाणन से जोड़ सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत के कौशल विकास कार्यक्रम को श्रम बाजार में हस्तक्षेप से आगे बढ़कर नवाचार-आधारित क्षमता निर्माण की ओर बढ़ना होगा। सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के समन्वित प्रयासों से व्यापक स्तर पर सतत आर्थिक नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है।

4. भारत के श्रम कानून : विकसित भारत का निर्माण करना

परिचय

भारत के श्रम सुधारों का उद्देश्य खंडित कानूनों को औपचारिकरण, कल्याण और विकास के लिए एक एकीकृत श्रम शासन ढाँचे में परिवर्तित करना है। ये संहिताएँ श्रमिकों की सुरक्षा को अनुपालन के सरलीकरण से जोड़ती हैं, लेकिन इनके परिणाम नियम-निर्माण और प्रवर्तन पर निर्भर करते हैं।

कानूनी समेकन और वेतन निष्पक्षता

- चार श्रम संहिताएँ 29 अधिनियमों को समेकित करती हैं, जो 21 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगी, जिससे एक सुसंगत संरचना का निर्माण होगा।
- द्वितीय एनसीएल (NCL) 2001 ने समेकन की सिफारिश की, जिससे राज्यों में खंडित अनुपालन और असमान प्रवर्तन को कम किया जा सके।

- मजदूरी संहिता 2019 में संगठित और असंगठित श्रमिकों को शामिल किया गया है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी और समान पारिश्रमिक को मजबूत किया गया है।
- वेतन की एकसमान परिभाषा भत्तों में हेरफेर को सीमित करती है, जिससे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और सामाजिक सुरक्षा की गणना प्रभावित होती है।
- क्षेत्रीय न्यूनतम वेतन राज्य भिन्नता को संरक्षित करता है, जबकि अनुच्छेद 38, 39, 41-43 सामाजिक न्याय का समर्थन करते हैं।
- पश्चिम बंगाल विवेकानंद विद्यामंदिर 2019 ने वैधानिक सामाजिक सुरक्षा अपवर्गों की रक्षा करते हुए वेतन सिद्धांतों को सुदृढ़ किया।

औद्योगिक संबंध और सामाजिक सुरक्षा

- औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ट्रेड यूनियनों, स्थायी आदेशों और विवाद समाधान ढाँचों को समेकित करती है।
- यूनियन को मान्यता देने के लिए बातचीत करने से बहुमत वाली यूनियनों को औपचारिक प्रतिनिधित्व मिलता है, जिससे बिखरे हुए सामूहिक सौदेबाजी के चैनलों की समस्या हल होती है।
- बाल्मर लॉरी के न्यायशास्त्र ने औद्योगिक शांति की नींव रखी, जिसे अब वैधानिक स्पष्टता के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।
- निश्चित अवधि के रोजगार से स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन, लाभ और कार्य परिस्थितियों का अधिकार मिलता है।
- संस्थान बंद करने की अनुमति की सीमा 100 श्रमिकों से बढ़ाकर 300 कर दी गई है, जिससे उद्यम विकास और रोजगार सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग-प्लेटफॉर्म श्रमिकों को मान्यता देती है, और योजना-आधारित सुरक्षा के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करती है।

OSHWC, कार्यान्वयन और सुधार सीमाएँ

- OSHWC कोड 2020 सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों से संबंधित 13 कानूनों को समेकित करता है।
- इसमें सुरक्षा समितियों, कल्याण अधिकारियों, चिकित्सा जाँच, प्रवासी श्रमिकों और कार्य के घंटों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- महिलाओं के रात्रि-कार्य संबंधी सुरक्षा उपाय कार्यबल में उनकी भागीदारी को मान्यता देते हैं, जबकि प्रवासियों से जुड़े प्रावधान उनकी प्रशासनिक अदृश्यता की समस्या का समाधान करते हैं।
- ई-श्रम और ESIC का विस्तार औपचारिकरण को बढ़ावा देता है, लेकिन कार्यान्वयन में मौजूद कमियाँ कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को प्रभावित करती हैं।
- निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता मॉडल प्रवर्तन को अनुपालन सहायता की ओर ले जाता है, जिससे अनौपचारिक क्षेत्रों में निवारण संबंधी कमियों का खतरा पैदा होता है।
- वास्तविक प्रभाव नियम निर्माण, संस्थागत क्षमता, पारदर्शी कार्यान्वयन और सामाजिक संवाद पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष

श्रम संहिताएँ विकसित भारत को तभी सहयोग दे सकती हैं, जब वैधानिक एकीकरण कार्यस्थल पर विश्वसनीय सुरक्षा का रूप ले। इनकी सफलता सुरक्षित कार्य-वातावरण, सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा और भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

5. वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में प्रवेश करता जनजातीय भारत

परिचय

आदिवासियों की आजीविका, शिल्प, उद्यम और बाजार तक पहुँच के माध्यम से, वनों पर आधारित गुजारे से हटकर वैश्विक मूल्य शृंखलाओं की ओर अग्रसर हो रही है। TRIFED और RISA जैसी पहलें सांस्कृतिक विशिष्टता को स्थायी आय और सम्मान में परिवर्तित करती हैं।

जनजातीय उद्यमिता और बाजार एकीकरण

- भारत जनजाति महोत्सव 2026 में 400 से अधिक जनजातीय कलाकारों, 310 शिल्प प्रतिभागियों तथा 17 प्रत्यक्ष शिल्प प्रदर्शनों को प्रदर्शित किया गया।
- TRIFED वन धन विकास केंद्रों को बढ़ावा देता है, जो जनजातीय उत्पादकों को खरीद, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग संबंधी सहायता से जोड़ते हैं।
- वन धन केंद्र 15 SHGs को शामिल करते हैं और 300 लाभार्थियों को केवल संग्रहकर्ता की भूमिका से आगे बढ़ाकर सूक्ष्म उद्यमी बनने में सहायता प्रदान करते हैं।
- जनजातीय उत्पाद ट्राइब्स इंडिया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और विभिन्न मेलों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुँच रहे हैं।
- RISA प्रीमियम ब्रांडिंग को बढ़ावा देता है, जिससे डिजाइन सहयोग, नवाचार और जनजातीय शिल्प समूहों को मजबूती मिलती है।

महिलाएँ, शिल्प और सतत आजीविका

- बस्तर में महिला उत्पादक अब कच्चे माल, विपणन और सामूहिक मूल्यवर्धन का प्रबंधन करती हैं।
- डेबोंगशी की बोधिब्लूम सोसाइटी 500 से अधिक महिलाओं को सहयोग प्रदान करती है और हस्तशिल्प को आजीविका सृजन के एक प्रभावी माध्यम में परिवर्तित कर रही है।
- उर्मिला सोरेन बारह खंडी रूपांकनों का उपयोग करती हैं, जो झारखंड के हथकरघे को सांस्कृतिक निरंतरता से जोड़ते हैं।
- संगीता टोडा कढ़ाई को संरक्षित करती हैं, जिससे नीलगिरी की महिला कारीगरों को पहचान और आर्थिक लाभ सुनिश्चित होता है।
- अनीता राणा के 300 सदस्यों का समूह मूंज घास का उपयोग करता है, जिससे जैव-अपघटनीय उत्पाद तैयार होते हैं और उचित मूल्य पर उत्पाद मिलते हैं।

पहचान-आधारित विकास और सततता

- आदिवासी हस्तशिल्प की व्यापक रूप से नकल करना मुश्किल होता है, जिससे उनकी विशिष्टता एक प्रतिस्पर्धी बाजार लाभ बन जाती है।
- प्रदर्शित शिल्पकलाओं में एरी-मुगा रेशम, कोटपैड कपास, चंगा पश्मीना और धोकरा कला शामिल हैं।
- RISA का प्रीमियम जनजातीय ब्रांड त्रिपुरा की पारंपरिक रीसा विरासत को आधुनिक, बाजार-उन्मुख उत्पाद संग्रहों से जोड़ता है।
- आदिवासी उत्पादक लाभार्थी से सृजक की भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं और इस प्रकार वे सतत एवं समावेशी विकास को आकार दे रहे हैं।
- वन उत्पादों से लेकर फैशन तक, स्थिरता, उद्यमशीलता और पहचान का संगम गरिमापूर्ण आजीविका में परिणत होता है।

निष्कर्ष

भारत के आदिवासी समुदाय का मूल्य शृंखलाओं में प्रवेश यह दर्शाता है कि परंपरा किस प्रकार उद्यम का स्रोत बन सकती है। बाजार तक पहुँच और संस्थागत समर्थन के साथ, आदिवासी कारीगर अपनी पहचान खोए बिना स्थायी आजीविका का निर्माण कर सकते हैं।

6. स्मार्ट एवं सतत कृषि : परंपरा और प्रौद्योगिकी का समन्वय

परिचय

भारत की कृषि प्रणाली जनजातीय ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के संयोजन से निर्वाह आधारित कृषि से स्मार्ट आजीविका की ओर अग्रसर हो रही है। यह तालमेल खाद्य सुरक्षा, स्थिरता, आय सृजन और पारिस्थितिक संतुलन को आपस में जोड़ता है।

कृषि, परंपरा और वनस्पति ज्ञान

- कृषि क्षेत्र 54.6% कार्यबल का समर्थन करता है, जबकि राष्ट्रीय सकल मूल्यवर्धन में 18-19% का योगदान देता है।
- भारत की फसलें जैसे चावल, गेहूँ, गन्ना और कपास खाद्य सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति शृंखला मूल्य सुनिश्चित करती हैं।
- हिमालय, पश्चिमी घाट, थार और पूर्वोत्तर में 700 से अधिक आदिवासी समुदाय पौधों के ज्ञान को संरक्षित करते हैं।
- ऋग्वेद, अथर्ववेद, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पौधों को औषधीय ज्ञान से जोड़ते हैं।
- अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, हल्दी और नीम जैसे पारंपरिक उपचार आधुनिक वैज्ञानिक महत्त्व प्राप्त कर रहे हैं।

सतत प्रथाएँ और नैनो-प्रौद्योगिकी में बदलाव

- बीज चयन और मिट्टी से लेपित अनाज जैसी जनजातीय प्रथाएँ आनुवंशिक विविधता और पारिस्थितिक लचीलेपन को संरक्षित करती हैं।
- मिश्रित खेती, फसल चक्र, जैविक उर्वरक और वर्षा जल संचयन मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं।
- नैनो-उर्वरक पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं, क्योंकि पौधे पारंपरिक यूरिया का 30-40% अवशोषित कर लेते हैं।
- नैनो जिंक, आयरन, कॉपर और कीटनाशक फसलों की गुणवत्ता, सूक्ष्म पोषक तत्त्वों और कीटों से सुरक्षा में सुधार करते हैं।
- नैनोसेंसर मिट्टी की नमी, पीएच और पोषक तत्त्वों की उपलब्धता पर वास्तविक समय के डेटा के माध्यम से सटीक खेती को संभव बनाते हैं।

डिजिटल कृषि और समावेशी किसान सशक्तीकरण

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आईओटी, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स खेतों को वैश्विक बाजारों से जोड़ते हैं।
- ड्रोन कुशल छिड़काव को संभव बनाते हैं, जबकि ई-एनएएम बाजार की पारदर्शिता और किसानों तक सीधी पहुँच में सुधार करता है।

- पीएम-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और डिजिटल कृषि मिशन आय सुरक्षा और परामर्श प्रणालियों का समर्थन करते हैं।
- परंपरागत ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी और जैव विविधता अधिनियम सामुदायिक ज्ञान की रक्षा करते हैं और लाभों को साझा करने में सहायता प्रदान करते हैं।
- स्मार्ट कृषि सेवा केंद्र, सूक्ष्म सिंचाई और स्थानीय भाषा में डिजिटल साक्षरता ग्रामीण समावेशन को मजबूत कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत की भावी कृषि को टिकाऊ और लाभदायक आजीविका के लिए पारंपरिक ज्ञान और सटीक प्रौद्योगिकी का मिश्रण करना होगा। यह मॉडल आत्मनिर्भर, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल कृषि के माध्यम से विकसित भारत 2047 का समर्थन कर सकता है।

7. महिला सशक्तीकरण और कार्यबल भागीदारी : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

परिचय

महिला सशक्तीकरण समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन और भारत के विकसित भारत@2047 दृष्टिकोण का केंद्रबिंदु है। कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए कानूनी सुधार, सामाजिक परिवर्तन, सुरक्षा और समान आर्थिक अवसर आवश्यक हैं।

ऐतिहासिक सुधार और नीतिगत समर्थन

- राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को चुनौती दी, जबकि विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई और बेगम रुकैया जैसी महिला सुधारकों ने स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया।
- स्वतंत्रता के बाद हुए सुधारों से महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, कानूनी अधिकार और राजनीतिक भागीदारी में सुधार हुआ।
- मिशन शक्ति, संबल-समर्थ्य, बेटी बचाओ और स्टैंड-अप इंडिया जैसी पहलें महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देती हैं।
- मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के तहत सवैतनिक अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई।

कार्यबल भागीदारी और विकासगत उपलब्धियाँ

- महिला श्रम बल की भागीदारी 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई।
- एसबीआई (SBI) के आँकड़ों से पता चलता है कि ब्रिक्स देशों में भारत ने महिला कार्यबल की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है।
- पीएलएफएस 2023 (PLFS 2023) से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की भागीदारी 23.3% से बढ़कर 32.8% हो गई है।
- ग्रामीण महिलाओं की LFPR 24.6% से बढ़कर 36.6% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.4 अंक बढ़ी।
- 2030 तक, नए कार्यबल में शामिल होने वालों में महिलाओं की संख्या आधे से अधिक हो सकती है।

निरंतर बनी हुई बाधाएँ और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

- 146 देशों में महिलाओं की भागीदारी 2006 में 37% से घटकर 2019 में 18% हो गई।
- 160 सूचीबद्ध कंपनियों में से केवल 6% कंपनियों के बोर्ड में महिलाएँ कार्यरत हैं।
- बाधाओं में पितृसत्तात्मक व्यवस्था, वेतन असमानता, व्यावसायिक पृथक्करण, कार्यस्थल पर उत्पीड़न तथा असुरक्षित परिवहन शामिल हैं।
- यौन उत्पीड़न के कारण महिलाओं की कार्य भागीदारी कमजोर होती है जिससे सुरक्षित कार्यस्थल और गरिमापूर्ण व्यवहार की आवश्यकता बढ़ जाती है।
- POSH अधिनियम 2013 तथा शी-बॉक्स कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करते हैं।
- यांत्रिकीकरण और संकुचित कृषि से महिलाओं के रोजगार में कमी आती है, खासकर अविकसित विनिर्माण क्षेत्रों में।

निष्कर्ष

भारत के 50% महिला कार्यबल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और गरिमा पर आधारित सुधारों की आवश्यकता है। सशक्त और रोजगार प्राप्त महिलाएँ अधिक न्यायसंगत, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारत का निर्माण कर सकती हैं।

8. कतारों से क्यूआर कोड तक : भारत की भुगतान क्रांति

परिचय

भारत का भुगतान परिवर्तन दिखाता है कि कैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहुँच, दक्षता और विश्वास का विस्तार कर सकती है। यूपीआई ने भुगतान को लोगों का मंच बना दिया है, जो समावेशन को नवाचार से जोड़ता है।

डिजिटल आधार और यूपीआई का पैमाना

- जन धन, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी ने डिजिटल लेन-देन के लिए JAM की आधारशिला तैयार की।
- डीबीटी ने कल्याणकारी लाभ सीधे भेजकर पारदर्शिता में सुधार किया, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों में कमी आई।
- एनपीसीआई ने 2016 में यूपीआई की शुरुआत की, जिससे बैंक खातों को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) के माध्यम से आपस में जोड़ना संभव हुआ।
- जनवरी 2026 में यूपीआई ने 83.33 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 21.70 अरब लेनदेन संसाधित किए।

- खुदरा डिजिटल लेनदेन में यूपीआई की हिस्सेदारी 81% और वैश्विक रीयल-टाइम भुगतान में 49% है।
- भागीदारी वाले बैंकों की संख्या 2021 में 21 से बढ़कर जनवरी 2026 तक 691 हो गई।

वित्तीय समावेशन और विश्वास निर्माण

- यूपीआई ने मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान को सरल बना दिया है, जिससे नकदी पर निर्भरता कम हो गई है।
- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के उपयोगकर्ता भी महानगरों जैसी गति से लेन-देन कर रहे हैं, जिससे उनकी वित्तीय अदृश्यता कम हो रही है।
- छोटे व्यापारी नकद रहित भुगतान स्वीकार करते हैं, जिससे बिक्री के रिकॉर्ड और औपचारिक क्रेडिट तक पहुँच में सुधार होता है।
- यूपीआई ऑटोपे आवर्ती उपयोगिता बिलों के भुगतान, सदस्यताओं व छोटे मूल्य की वित्तीय योजना संबंधी भुगतानों को सुगम बनाता है।
- आरबीआई का दो-कारक प्रमाणीकरण पिन और ओटीपी का उपयोग करता है, जिससे सुरक्षा और उपयोगकर्ता का विश्वास मजबूत होता है।

वैश्विक पहुँच और फिनटेक नेतृत्व

- 2010 में आईएमपीएस (IMPS) और 2004 में आरटीजीएस (RTGS) ने भारत के रियल-टाइम भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को तैयार किया।
- आईएमएफ (IMF) और विश्व बैंक ने यूपीआई के व्यापक पैमाने, दक्षता और वित्तीय समावेशन को स्वीकार किया।
- इमैनुअल मैक्रॉन ने भारत द्वारा प्रति माह 20 अरब यूपीआई लेनदेन संसाधित करने की उपलब्धि का उल्लेख किया।
- यूपीआई यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्राँस, मॉरीशस और कतर से जुड़ा हुआ है।
- सीमा पार यूपीआई प्रेषण, वित्तीय समावेशन और भारत की वैश्विक फिनटेक भूमिका का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

यूपीआई ने भारत में भुगतान के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है, अब बैंक की लंबी कतारों के बजाय त्वरित लेनदेन और क्यूआर कार्ड के जरिए भुगतान संभव हो गया है। इसकी ताकत स्वदेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में सरलता, व्यापकता, सुरक्षा और समावेशिता के संयोजन में निहित है।